न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 49 / 2008 (आव0व0अधि0)

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

––प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री गैस सर्विस इण्डेन गैस वितरक गोपाल विहार बारां रोड कोटा
2. श्री बरकत हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन जाति मुसलमान पेशा ऑटो चालक निवासी श्रीराम नगर रेयन्स कोलोनी कोटा
3. श्री आरिफ हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन जाति मुसलमान पेशा डिलेवरी मेन निवासी श्रीराम नगर कोटा
4. श्री साजिद हुसैन पुत्र लियाकत हुसैन जाति मुसलमान पेशा मालिक लोडिंग ऑटो निवासी श्रीराम नगर कोटा

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 4.3.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री प्रताप ठाकुर प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनाक 02.09.2008 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशन मे जांच दल मे सम्मिलित सदस्यों श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री टी.आर. भाटी, श्री इरफान कुरैशी,श्री प्रताप ठाकुर प्रवर्तन निरीक्षक मै0 मल्टीमेटल डीसीएम रोड के सामने स्थित सूरसागर रोड पर पहूंचे । वक्त जाच निम्न तथ्य होना पाये गये :–

2. सूर सागर रोड से एक लोडिग ऑटो (टेम्पो) सं0 आर.जे. 20 जी 6682 गैस सिलेण्डर लेकर मेन रोड की ओर आता हुआ मिला । मौके पर लोडिंग ऑटो को रोककर जांच पर लोडिंग ऑटो मे इण्डेन कम्पनी के 20 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए रखे पाये गये । पूछने पर ऑटो चालक ने अपना नाम बरकत हुसैन पुत्र श्री साबिर हुसैन पेशा टेम्पो ड्राइवर निवासी श्रीरामनगर रेयन्स कोलोनी कोटा एवं उसके साथ के व्यक्ति ने अपना नाम श्री आरिफ हुसैन पुत्र लियाकत हुसैन पेशा डिलेवरी मेन निवासी, श्रीरामनगर होना बताया । दोनो बिना यूनिफार्म पाये गये । मौके पर लोडिंग ऑटो (टेम्पो) सं0 आर.जे. 20 जी 6682 के चालक एवं डिलेवरी मेन के पास मे श्री गैस सर्विस के 11 खाली रिफिल वाउचर पाये गये मौके पर ऑटो चालक एवं डिलेवरी मेन से पूछने पर बताया कि उसके द्वारा कंसुवा मे यह सिलेण्डर वितरण हेतु ले जाये जा रहे है, किन्तु किस उपभोक्ता को सिलेण्डर देने है, यह उन्हे नही मालूम । पूछताछ पर बताया कि कंसुवा क्षेत्र मे वह उपभोक्ता की नीली डायरी देखकर सिलेण्डर बांटते है । कंसुवा क्षेत्र मे उन्हे उपभोक्ता के घर जाने की आवश्यकता नही पडती है । ऑटो जाते ही उपभोक्ता ऑटो पर आ जाते है । नीली डायरी मे

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

बुकिंग की तारीख देखकर, अगर बुकिंग को 15 दिन हो गये होते है तो उसे डिलेवरी दे देते है । डिलेवरी के समय खाली वाउचर भर देते है । मौके पर ऑटो चालक श्री बरकत हुसैन एवं डिलेवरी मेन श्री आरिफ हुसैन के बयान अलग से लिये जाकर संलग्न किये गये । डिलेवरी मेन द्वारा चालक से 5/—रूपये प्रति सिलेण्डर वितरण राशि प्राप्त करना बताया गया । मौके पर ऑटो चालक एवं डिलेवरी मेन के पास पाये गये 20 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर्स के विरूद्व 11 खाली रिफिल वाउचर होने के बारे मे वे कोई संतोष जनक उत्तर नही दे पाये । मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था कर लोडिंग ऑटो सं0 आर.जे. 20 जी 6682 मे पाये गये लाल रंग के भरे हुए 20 घरेलू गैस सिलेण्डर्स क्षमता 14.2 कि.ग्रा. का वनज करने का परिणाम निम्न रहा :—

S.N.	Oil Company	SR No.	T.Wt. (kg.)	G.Wt. (kg.)	Net Wt. (kg.)
1	IOC	525498	15.4	29.5	14.1
2	IOC	365019	15.3	29.3	14.0
3	IOC	77322	16.5	30.4	13.9
4	IOC	496349	15.5	29.5	13.9
5	IOC	0323773	15.8	29.8	14.0
6	IOC	239077	15.5	29.4	13.9
7	IOC	577256	16.4	30.4	14.0
8	IOC	298136	15.6	29.5	13.9
9	IOC	151200	16.3	30.3	14.0
10	IOC	257895	15.8	29.7	13.9
11	IOC	00293	15.5	29.5	14.0
12	IOC	347997	15.8	29.8	14.0
13	IOC	151560	15.3	29.2	13.9
14	IOC	320700	15.8	29.8	14.0
15	IOC	60241	17.2	31.2	14.0
16	IOC	150334	15.7	29.6	13.9
17	IOC	425639	15.2	29.2	14.0
18	IOC	115656	15.4	29.4	14.0
19	IOC	15036	16-2	30.2	14.0
20	IOC	20252	16.2	30.2	14.0

उक्त 20 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर मे से क्र. सं. एक को छोडकर बाकी गैस सिलेण्डर निर्धारित वजन से कम पाये गये । मौके पर पाये गये उपरोक्त 20 भरे हुए लाल रंग के घरेलू गैस सिलेण्डर लोंडिग ओटो मे बिना रिफिल वाउचर के पाये जाने के कारण मौके पर जप्तराज कर सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर उपस्थित श्री सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति खटीक निवासी इन्द्रागांधी नगर कोटा पैशा नौकरी सुविधा गैस एजेन्सी कोटा तथा प्रतिनिधि सुविधा गैस एजेन्सी कोटा को सुपुर्द किये जाकर खुर्द बुर्द नही करने हेतु पाबन्द किया गया । मौके पर ऑटो चालक एवं डिलेवरीमेन के पास पाये गये खाली 11 सिलेण्डर रिफिल वाउचर वजह सबत प्राप्त कर संलग्न फर्द किये गये ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अभिग्रहण किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर एव खाली रिफिल वाउचर की रसीद डिलेवरीमेन श्री आरिफ हुसैन को जारी की गई ।

3- इस प्रकार मैसर्स श्री गैस सर्विस एवं उनके डिलेवरीमेन/कर्मचारियों द्वारा बिना रिफिल वाउचर भरे हुए , बिना पूर्व बुंकिग के उपभोक्ताओं की जानकारी के घरेलू गैस सिलेण्डर्स वितरण हेतु ले जाने का कार्य करके तथा निर्धारित वजन से कम गैस सिलेण्डर्स वितरण का प्रयास कर द्रवित पेट्रोलियम गैर (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑडर 2000 के खण्ड 3 (3) 4 (2) एवं 5 सपठित राजस्थान उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञप्ति शर्त सं0 11 (5) की अवहेलना कर उक्त आदेश के खण्ड 10 का भी उल्लघंन किया गया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया कि उक्त सीज्ड माल 20 इण्डेन घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान फरमावे ।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 –ए तथा 6– ए (2) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

5. अप्रार्थी क्रम 1 मेसर्स श्री गैस सर्विस कोटा द्वारा दिनांक 18.4.2017 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का गैस गौदाम देवली अरब रोड बोरखेडा मे स्थित है तथा प्रार्थी का अधिकृत बुकिंग कार्यालय कन्सुवा क्षेत्र मे स्थित है प्रार्थी के गैस गोदान से भरे हुए गैस सिलेण्डर लेकर लोडिंग ओटो कन्सुवां स्थिति कार्यालय से भेजा जाता है तथा कन्सुआं स्थिति कार्यालय से जिन उपभोक्ताओं ने गैस बुक करवायी हुयी है उनकी पर्चीया प्राप्त कर वास्तविक उपभोक्ताओं को ही गैस सिलेण्डर का वितरण नियमानुसार किया जाता है । उक्त लोडिंग टोटो मे गोदाम से भरे हुए गैस सिलेण्डर की आवक होने पर गेट पास द्वारा ही लोडिंग ओटो को बाहर निकाला जाता है । परन्तु प्रार्थी ने उक्त तथ्य को छिपाकर केवल मात्र अप्रार्थी क्रम 1 को परेशान करने की बदनियती से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । जबकि कन्सुआं क्षेत्र मे ज्यादातर लोगो के पास सिंगल सिलेण्डर है और जिनके पास दो सिलेण्डर है उनके द्वारा भी एक सिलेण्डर को दुसरे को उपयोग मे लेने के लिये दे रखे है इस कारण कई बार प्रार्थी के कर्मचारियों को ऐसी स्थितियां आने पर पर्चीया निरस्त करनी पडती है क्योकि अप्रार्थी क्रम 1 को विधि दायित्व वास्तविक उपभोक्ताओं को ही गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने का है । जिन उपभोक्ताओं के द्वारा गैस बुक करवादी जाती है । परन्तु मौके पर सप्लाई भेजे जाने पर जब उपभोक्ता के पास खाली सिलेण्डर नही मिलता तो उस उपभोक्ता की पर्ची निरस्त करदी जाती है तथा तद्उपरान्त खाली सिलेण्डर लाये जाने पर उस उपभोक्ता की पुरानी बुकिंग देखकर व निरस्त पर्ची देखकर मौके पर ही पुनः नई पर्ची बनाई जाती है । ताकि उपभोक्ता गैर सिलेण्डर का व्यापार नही कर सके तथा वास्तविक घरेलू उपयोग के लिये ही गैर सिलेण्डर को प्राप्त कर सके । दिनाक 02.09.08 को ओटो मे गैस सिलेण्डर भरवाये गये थे जिनमे से 11 सिलेण्डर कैन्सिल बुकिंग के देने हेतु व 9 सिलेण्डर नियमित सप्लाई वाले ग्राहको को देने हेतु दिये गये थे परन्तु उक्त 20 सिलेण्डर गैस के बारे मे अंकित यह तथ्य कि गैस सिलेण्डर निर्धारित वनज से कम पाये गये थे पूर्णतया

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

मनगढन्त अंकित किया गया है । इलेक्ट्रोनिक कांटे मे 50–100 ग्राम तक का वेरीएशन (फर्क) आना एक सहज प्रक्रिया है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 का गन्तव्य निर्धारित मात्रा से कम गैस का वितरण का नही रहा है । यहां यह बताना भी आवश्यक है कि इण्डियन ऑयल कम्पनी द्वारा भी गैस सिलेण्डर मे 150 ग्राम गैस कम व ज्यादा होने का मानक निर्धारित किया हुआ है इसलिये उक्त जप्त शुदा गैस सिलेण्डरों मे किसी भी प्रकार से गैस कम होने के तथ्य को नही माना जा सकता । अप्रार्थी क्रम 1 के 20 घरेलू सिलेण्डरों को जबरन बिना किसी वेध कारण के जप्त किया गया है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 के गैस गोदान से कन्सुआ स्थित कार्यालय तक लोडिंग ऑटो जाने के पश्चात ही कन्सुवा स्थित कार्यालय से रिफिल वाउचर प्राप्त कर गैर सिलेण्डरों को वितरण किया जा रहा है । केवल शक के आधार पर उक्त तथा कथित कार्यवाही को अन्जाम दिया गया है जो किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही है । विशेष कथन मे निवेदन किया कि प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या, असदभाविक एवं मनगढन्त तथ्यों से परे होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 के जप्त शुदा 20 सिलेण्डर अप्रार्थी क्रम 1 को वापिस लोटाये जाने का निवेदन किया गया

6. हमने पेरोकार रसद की बहस सुनी किन्तु दौराने बहस अप्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए, पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई, एवं पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर भली भांति अवलोकन किया गया । परिणामस्वरूप वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर सीज्ड माल वापस लौटाने के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार मैसर्स श्री गैस सर्विस एवं उनके डिलेवरीमेन/कर्मचारियों द्वारा बिना रिफिल वाउचर भरे हुए , बिना पूर्व बुंकिग के उपभोक्ताओं की जानकारी के घरेलू गैस सिलेण्डर्स वितरण हेतु ले जाने का कार्य करके तथा निर्धारित वजन से कम गैस सिलेण्डर्स वितरण का प्रयास कर द्रवित पेट्रोलियम गैर (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑडर 2000 के खण्ड 3 (3) 4 (2) एवं 5 सपठित राजस्थान उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञप्ति शर्त सं0 11 (5) की अवहेलना कर उक्त आदेश के खण्ड 10 का भी उल्लघंन किया गया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत उक्त सीज्ड माल 20 इण्डेन घरेलू गैस सिलेण्डर्स को अन्तर्गत धारा 6–ए के तहत राजसात योग्य पाते है ।

7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 20 (बीस) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner